.—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 2/2021

उनवान

1. मुन्नी बेगम पत्नी अजीज बेग
2. हनीफबेग पुत्र अजीज बेग समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम जिलावडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवकता श्री राजेश सुकरिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

——— अप्रार्थीगण :— जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 29.10.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 415 रकबा 2—11—0, वंर्किग खसरा नम्बर 329 मिन रकबा 0.35 के हाल खसरा नम्बर 819 रकबा 0.35 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है। उपरोक्त भूमि का हाल नक्शा बनाते समय खसरा नम्बर 819 के पास जबरन रास्ता अंकित कर दिया है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 819 के पास 812 रास्ता का अंकन कर दिया है, जबकि खसरा नम्बर 819 के पास खसरा नम्बर 812 नही होना था। चौसाला राजस्व मानचित्र के खसरा नम्बर 415 से भी स्पष्ट है कि पूर्व में खसरा नम्बर 812 का कही भी अंकन नही था। प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 819 में लगभग 8 बिस्वा भूमि कम कर दी है। अतः हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

ग्राम कानपुरा के आराजी खसरा नमबर 819 रकबा 0.35 की आराजी प्रार्थीगण्ण की खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 329 व चौसाला खसरा नम्बर 415 है। चौसाला राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 415 के पास रास्ता अंकित नही है। किन्तु वंर्किग मानचित्र में खसरा नम्बर 329 के पास रास्ता स्थित है। इसी प्रकार हाल राजव मानचित्र में खसरा नम्बर 819 के पास खसरा नम्बर 812 अंकित है। प्रार्थीगण द्वारा हाल खसरा नमबर 812 का राजस्व अभिलेख पेश नही किया है तथा खसरा नमबर 812 को रास्ता बताया है किन्तु हाल जमाबंदी में खसरा नम्बर 812 रकबा 0.20 आलम बेग, नीम्बा बेग, सत्तार बेग पि. कमरूबेग के नाम [illegible] खसरा नम्बर का रकबा 0.20 है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 812 के खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है तथा खसरा नम्बर 812 की भूमि से अपनी खातेदारी आराजी का रकबा [illegible] कराना चाहते है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व मानचित्र अथवा किसी भी प्रकार के प्रकरणों

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:36:58 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

में हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश/निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण ने प्रकरण में यह भी स्पष्ट नही किया है कि हाल खसरा नम्बर 819 की कोन सी तरफ की सीमा का रकबा कम कर दिया है। प्रार्थीगण ने हाल खसरा नम्बर 819 के आस–पास के समस्त खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। उक्तानुसार पक्षकारों के कुसंयोजन व प्रार्थना पत्र में अंकित अस्पष्ट तथ्यों के कारण प्रार्थीगण वर्तमान राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती के अधिकारी नही है।

ग्राम कानपुरा के हाल खसरा नमबर 819 रकबा 0.35 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.04.04 10:56:58 IST
Reason: SelfAttested